वेब परिचालन

G20
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / HEAD OFFICE
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110066
Website : www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

हि.अ./ 4/2/98/2018//389 दिनांक : 18 AUG 2023

सेवा में,

संबंधित आंचलिक कार्यालय के प्रभारी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
निदेशक - पीडीजास
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: क.भ.नि.सं. के कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया ,

मुख्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार **राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4)** के अंतर्गत अभी तक अधिसूचित न किए गए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। आपके संज्ञान में लाया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऐसे कार्यालय जहाँ अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या में से 80% ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है। राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) की परिभाषा इस पत्र के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि सूची में दर्शाए गए कार्यालयों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करें, यदि इन कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या में से 80% को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो इन कार्यालयों को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने हेतु मुख्यालय को अनुरोध प्रेषित करें।

यदि अभी तक इन कार्यालयों ने पात्रता प्राप्त नहीं की है तो इन कार्यालयों में सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के बैच बनाकर उन्हें हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन / ऑफलाइन (कार्यालय की सुविधा के अनुसार) प्रशिक्षण दिया जाए ताकि सभी को हिंदी में प्रशिक्षित किया जा सके ।

इन कार्यालयों के संबंध में समेकित सूचना, इन्हें राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करने के प्रस्ताव सहित, नीचे दिए गए प्रोफार्मा में दिनांक 31 अगस्त 2023 तक मुख्यालय को प्रेषित करें ताकि इन पात्र कार्यालयों को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने संबंधी कार्रवाई की जा सके।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कुल अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	कुल संख्या में से कार्यसाधक अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या एवं प्रतिशत

भवदीया,

(वीना टम्टा भाटिया)

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय/प्रभारी राजभाषा

संलग्न: उपर्युक्त

प्रतिलिपि:

सभी संबंधित प्रभारी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय/ आं.प्र.सं. / उप आं.प्र.सं. । (सूची के अनुसार)

: अनुरोध है कि अपने कार्यालय से संबंधित उपर्युक्त सूचना तत्काल आंचलिक कार्यालय / पीडीनास को भेजें ताकि वे समेकित सूचना मुख्यालय को प्रेषित कर सकें। सूचना सीधे मुख्यालय को प्रेषित न की जाए। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीधे भेजे गए प्रस्तावों/ पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(वीणा रानी यादव)

निदेशक (राजभाषा)

क्रम.सं	संबंधित आंचलिक कार्यालय /पीडीनास	राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अभी तक अधिसूचित न किए गए आंचलिक/ क्षेत्रीय कार्यालय/आं. /उप आं.प्र. संस्थान का नाम
1.	पीडीनास	1. आं.प्र.सं. चेन्नै
		1. उप आं.प्र.सं. शिलांग
2.	आंचलिक कार्यालय, दिल्ली एवं उत्तराखंड	1. क्षे.का जम्मू
		2. क्षे.का श्रीनगर
		3. क्षे.का लद्दाख
3.	आंचलिक कार्यालय, बिहार एवं झारखंड	1. आंचलिक कार्यालय बिहार एवं झारखंड, पटना
4.	आंचलिक कार्यालय गुजरात	1. क्षे.का वटवा
5.	आंचलिक कार्यालय आंध्र प्रदेश, विजयवाडा	1. आंचलिक कार्यालय आंध्र प्रदेश, विजयवाडा
6.	आंचलिक कार्यालय चेन्नई एवं पुदुचेरी चेन्नई	1. आंचलिक कार्यालय चेन्नई एवं पुदुचेरी, चेन्नई
		2. क्षे.का चेन्नई-(उत्तर)
		3. क्षे.का चेन्नई-(दक्षिण)
		4. क्षे.का अम्बातूर
		5. क्षे.का तांबरम
		6. क्षे.का पुदुचेरी
7.	आंचलिक कार्यालय केरल एवं लक्ष्यद्वीप , त्रिवेंद्रम	1. आंचलिक कार्यालय केरल एवं लक्ष्यद्वीप , त्रिवेंद्रम
8.	आंचलिक कार्यालय उत्तर-पूर्व क्षेत्र , गुवाहाटी	1. आंचलिक कार्यालय उत्तर-पूर्व क्षेत्र , गुवाहाटी
		2. क्षे.का गुवाहाटी
		3. क्षे.का अगरतला
		4. क्षे.का शिलांग
		5. क्षे.का तिनसुकिया
9.	आंचलिक कार्यालय ओडिशा, भुवनेश्वर	1. आंचलिक कार्यालय ओडिशा, भुवनेश्वर
		2. क्षे.का क्योंझर
10.	आंचलिक कार्यालय तमिल नाडु (चेन्नई को छोड़कर) कोयम्बतूर	1. आंचलिक कार्यालय तमिल नाडु (चेन्नई को छोड़कर) कोयम्बतूर
		2. क्षे.का कोयम्बतूर
		3. क्षे.का सेलम
		4. क्षे.का तिरुच्ची
		5. क्षे.का मदुरै
		6. क्षे.का तिरुनेलवेली
		7. क्षे.का नागरकोइल-
11.	आंचलिक कार्यालय तेलंगाना हैदराबाद	1. क्षे.का कुक्कटपली
		2. क्षे.का वारंगल
		3. क्षे.का निज़ामाबाद
		4. क्षे.का करीमनगर

12.	आंचलिक कार्यालय प.बं., अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम, कोलकाता	1. आंचलिक कार्यालय प.बं., अं. एवं नि. द्वीप समूह और सिक्किम, कोलकाता
		2. क्षे.का बैरकपुर
		3. क्षे.का पार्क स्ट्रीट
		4. क्षे.का जलपाईगुड़ी
		5. क्षे.का जंगीपुर
13.	आंचलिक कार्यालय राजस्थान , जयपुर	1. क्षे.का अलवर

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

1. a. यदि किसी कर्मचारी ने-

   i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

   ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;या

   iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

   b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

   तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से **अस्सी प्रतिशत** ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का **कार्यसाधक ज्ञान** प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. ***केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे:***

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।